कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक– 1040 / FP/UK/ROAD/9709/2015 :देहरादूनःदिनांकः 15 अक्तूबर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–25, सुभाष रोड, देहरादून।
देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्यालना–भन्सारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.64 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 167 / 2016 / एफ0सी0 / 269 दिनांक 11–08–2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट, उत्तरकाशी के पत्रांक 701 / 12–1 दिनांक 23–08–2018 **(संलग्नक–1)** के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 7.280 हे0 ग्राम स्यालना सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु देय धनराशि रू0 20,28,681.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा कराया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है। **(जिलाधिकारी–उत्तरकाशी का आदेश एवं खसरा–खतौनी की प्रति, संलग्नक–2)**
2. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 30,75,800.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करायी जा चुकी है।
3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
4. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन चालान के माध्यम से उपरोक्तानुसार कुल जमा धनराशि रू0 51,04,481.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**
5. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव है सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–5)**
6. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु डिजिटल मानचित्र एवं वन अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–6)**

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या / FP/UK/ROAD/9709/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
2. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, पुरोला।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक